

[भारत के राजपत्रित, असाधारण, के भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड)
अधिसूचना

श्रवण, शक 1942

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2020

सं. 61 /2020-सीमाशुल्क (गै.टे.)

सा. का. नि. (अ).- सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 58 क की उपधारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड, एतदद्वारा, भारत सरकार वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 66/2016-सीमाशुल्क (गै.टे.), दिनांक 14 मई, 2016, जिसे सा.का.नि. 513(अ), दिनांक 14 मई, 2016 के तहत भारत के राजपत्रित, असाधारण, के भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करता है, यथा: -

उक्त अधिसूचना में, उपवाक्य (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपवाक्य को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“(1) सोना, चांदी और अन्य बहुमूल्य धातुएं तथा उनसे निर्मित वस्तुएं;”.

(फा.सं. 473/04/2020- एलसी)

(राधाकृष्णन आनंद)

उप सचिव, भारत सरकार
नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 66/2016-सीमाशुल्क (गै. टे.), दिनांक 14 मई, 2016 को सा.का.नि. 513(अ), दिनांक 14 मई, 2016 के तहत भारत के राजपत्रित, असाधारण में प्रकाशित किया गया था।